

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 118/2022

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

## उपनाम

- 1 अनिल पिता महावीर धोबी उम्र वयस्क निवासी चापानेरी तहसील मिनाय जिला, अजमेर
- 2 होशियार पिता महावीर धोबी उम्र वयस्क निवासी चापानेरी तहसील मिनाय जिला, अजमेर
- 3 प्रहलाद पिता रामबक्ष धोबी उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 मुकेश पिता धीरू धोबी उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 सत्यनारायण पिता धीरू धोबी उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 6 लाली देवी पत्नि धीरू धोबी उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 7 राधेश्याम पिता गोपाल धोबी उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 8 सायरी पत्नि गोपाल धोबी उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 9 मुसोनिया पुत्री गोपाल धोबी उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा

—( प्रार्थी)

## बनाम

- 1 सुखदेव पिता लक्ष्मण गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 कृष्णगोपाल पिता छीतर खाती उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 रामकुंवार पत्नि छीतर खाती उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 रामधन पिता छीतर खाती उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 हीरा पिता छीतर खाती उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 6 रंगलाल पिता चतर्भुज कुम्हार उम्र वयस्क निवासी नया सरसुन्दा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 7 निरुदास पिता बालकदास साधू उम्र वयस्क निवासी नया सरसुन्दा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 8 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकला जिला भीलवाड़ा

—( अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 वाकत कराने पत्थरगढी आराजीयात

## निर्णय

दिनांक - 05.05.2023


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 13.07.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाकें ग्राम नया सरसुन्दा पटवार मण्डल पेटा नाहरसागर भू.अ.नि. कनेछनकला तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतीनी संख्या 148 के आ.न. 763 रकबा 0.55 हेक्टर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय पडोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीय के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयों को बजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीयों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीय नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अनिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीय स्वीकार किया जाकर वाकें ग्राम नया सरसुन्दा पटवार मण्डल पेटा नाहरसागर भू.अ.नि. कनेछनकला तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतीनी संख्या 148 के आ.न. 763 रकबा 0.55 हेक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अनिलेख निरीक्षक कनेछनकला को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अनिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडोसीयान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की रिथिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिनू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी  
फूलियाकला, जिला-भीलवाड़ा